



बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, लि०,

“खाद्य भवन”, दारोगा राय पथ, आर०ब्लॉक, रोड नं० २, पटना ८००००१

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य खाद्य निगम के सफल संचालन हेतु सहायक/लिपिक के रिक्त पद को भरने हेतु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार एवं राज्य/केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/निगम से सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापित कर विभिन्न शर्तों पर आवेदन पत्र की मांग की गयी थी।

प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अर्हता पूरा करने वाले निम्नलिखित सेवा निवृत्त कर्मियों का दिनांक-09.12.2017 एवं 11.12.2017 को हुए Walk-in-Interview के पश्चात निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर संविदा पर चयन किया गया है। इनकी नियुक्ति संविदा पर योगदान की तिथि से 11 माह के लिए होगी। इनका कार्यकलाप संतोषप्रद पाये जाने पर इनकी अवधि विस्तार एवं पुनः संविदा पर विचार किया जा सकता है।

क्र०	सहायक/लिपिक (संविदा) का नाम	मूल विभाग	गृह जिला
1	श्री मिथलेश कुमार सिंह	सारजेन्ट, भारतीय वायु सेना(क्लर्क)	छपरा
2	श्री राज किशोर प्रसाद	लेखा लिपिक-सह-रोकड़पाल, टूरिज्म एण्ड डेवलपमेंट कॉ०	पटना
3	श्री कौशलेश कुमार सिंह	सहायक, विस्कोमान	वाराणसी 30प्र०
4	श्री सत्येन्द्र नारायण प्रसाद	लिपिक, कोषागार कार्यालय	पटना
5	श्री ललन पाण्डेय	सहायक, विस्कोमान	पटना
6	श्री कमलेश्वरी प्रसाद सिंह	सहायक, बिहार राज्य खाद्य निगम	कटिहार
7	श्री राजीव कुमार सिंह	सारजेन्ट, भारतीय वायु सेना(क्लर्क)	पटना

शर्तें-

- सभी चयनित अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-12.01.2018 तक बिहार राज्य खाद्य निगम, खाद्य भवन, निगम मुख्यालय, पटना में योगदान करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये कोई भी कागजातों में गड़बड़ी पायी जाती है तो संबंधित अभ्यर्थियों की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
- उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो राशि होगी वही मानदेय के रूप में देय होगा।
- इनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- संविदा पर कार्यरत ऐसे किसी कर्मों के विरुद्ध अनुशासनिक/अपराधिक मामला, क्षति/गबन का मामला पाये जाने पर उनकी संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- इनके द्वारा “बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम”के अन्तर्गत एकरारनामा किया जाना अनिवार्य होगा।
- इनके द्वारा की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में “बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम” के सुसंगत प्रावधानों के अधीन किया जायेगा।
- संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें निगम को एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि “बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन वसूलनीय होगी।

प्रबंध निदेशक के आदेश से।

ह०/-

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

ज्ञापांक:-3:02:200:01:17

दिनांक-

प्रतिलिपि-मुख्य महाप्रबंधक, जन वितरण/अधिप्राप्ति/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/विपत्र लिपिक/प्रबंध निदेशक कोषांग, निगम मुख्यालय, पटना एवं सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

मं/व/व

ज्ञापांक:-3:02:200:01:17 195

दिनांक- 8/1/18

प्रतिलिपि-उपरोक्त क्र0सं0-1 से 7 तक सभी संबंधित कर्मियों को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रभारी नियंत्रण कक्ष को निदेश है कि निगम के वेवसाईट पर लोड करना सुनिश्चित करें ताकि सफल अभ्यर्थियों तक सूचना प्राप्त हो सके।

उप महाप्रबंधक, प्रशासन

पदाधिकारी का नाम	पदाधिकारी का पता	पदाधिकारी का पता
...
...
...
...
...
...
...

Faint, mostly illegible text covering the middle and lower half of the page. It appears to be a list or a set of instructions for various staff members.

Additional administrative text at the bottom of the page, possibly a signature block or footer with contact information.

02/9

02/18